

an>

Title: Presentation of the 37th, 38th Reports and 39th, 40th, 41st and 42nd Action Taken Reports of Committee on Subordinate Legislation.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): अध्यक्ष महोदया, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ: -

आयुर्वेद/होम्योपैथी स्नातक और आयुर्वेद/होम्योपैथी में उच्चतर अध्ययन के लिए अन्य पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया को शासित करने वाले अधिनियमों/नियमों/विनियमों/उप-विधियों संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (डीएएनआईसीएस) और केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की सेवा शर्त को शासित करने वाले नियमों/विनियमों संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के संशोधन के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय से संबंधित संसद के विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों पर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

आरबीआई पेंशन विनियम, 1990 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई- कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन ।...(व्यवधान)